

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक- प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट

जयपुर, दिनांक 30 APR 2020

आदेश

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित हैं।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण को बकाया लीज राशि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट विभागीय आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट जयपुर, दिनांक 22.01.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी।

कोविड-19 के मद्देनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार विभागीय आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट जयपुर, दिनांक 22.01.2020 की निरन्तरता में प्रदत्त छूट एतद्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ायी जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन्त्री/राज्यपाल)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम